न्यायालयः— प्रीति पाण्डे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गरोठ
जिला मंदसौर (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण कमांक—813/2022
CIS Case No. RCT/751/2022
CNR No. MP14080017272022
संस्थित दिनांक—26.09.2022

—::निर्णय::—

(निर्णय दिनांकः 30.07.2024 को घोषित)

CIS Case No. RCT/751/2022

आरक्षी केन्द्र शामगढ जिला मंदसौर म.प्र. के अपराध कमांक 365/2022
अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम से उद्भूत प्रकरण

परिवादी/अभियोजन	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र शामगढ़ जिला मंदसौर
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रमेश गामड़ ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**धारासिंह पिता कानसिंह राजपूत, उम्र—37 वर्ष, निवासी—बर्डियाउंचा थाना शामगढ़ जिला मंदसौर म.प्र.**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता
अपराध की तारीख	23.09.2022
प्र.सू.रि. की तारीख (पी.ओ.आर.)की तारीख	23.09.2022
आरोप—पत्र की तारीख	26.09.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	19.01.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	10.03.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	30.07.2024

निर्णय की तारीख	30.07.2024
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरा भोगी गई निरोध अवधि
01.	धारासिंह	सूचना पत्र अंतर्गत धारा 41–ए द. प्र.स	निरंक	धारा 25 आयुध अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालीयीन साक्षीयों की सूची

क. अभियोजन :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.–1	पूरसिंह	चक्षुदर्शी/पंचान साक्षी
अ.सा.–2	अमरसिंह	चक्षुदर्शी/पंचान साक्षी
अ.सा.–3	भानु प्रताप सिंह	जप्तीकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो:–

नाम	साक्षी की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो:–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजनः–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी. 1/अ.सा.–1	जप्ती पंचनामा
2.	प्रदर्श पी. 2/अ.सा.–2	घटनास्थल का नक्शामौका
3.	प्रदर्श पी. 3/अ.सा.–3	धारा 41–ए द.प्र.स का सूचना पत्र
4.	प्रदर्श पी. 4/अ.सा.–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी. 5/अ.सा.–3	अपराध की असल कायमी
6.	प्रदर्श पी. 6/अ.सा.–3	रवानगी वापसी रोजनामचा सान्हा

ख. प्रतिरक्षा

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्शः–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएंः–

स.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	अर्टिकल–ए	खटकेदार चाकू

01. अभियुक्त पर धारा **25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम के** तहत इस आशय के आरोप है कि वह दिनांक 23.09.2022 को समय 08:40 से 09:00 बजे के मध्य स्थान सरकारी टंकी के पास ग्राम बर्डियाउंचा थाना शामगढ सार्वजनिक स्थान पर एक लोहे के धारदार खटकेदार चाकू को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा पाया गया और ऐसा कर उसने आयुध अधिनियम की धारा 4 के अधीन म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312–6552–दो–बी(1) दिनांक 22.11.1974 का उल्लघंन किया।

02. अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2022 को सहायक उपनिरीक्षक भानु प्रताप सिंह कस्बा भ्रमण हेतु रवाना होकर बर्डिया उंचा पहुंचे जहां उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बर्डिया उंचा का धारासिंह जिसका हुलिया बदन गठीला कद सामान्य होकर आसमनी कलर का टी शर्ट पहने होकर सरकारी टंकी के पास खटकेदार चाकू लेकर प्रदर्शन कर लोगों को डरा धमका रहा है। उक्त सूचना पर पंचान पूरसिंह पिता बापूसिंह व अमरसिंह पिता नारायण को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर साथ मे लेकर सरकारी टंकी के पास पहुंचे जहां देखा कि एक व्यक्ति उसके

दांहिने हाथ में खटकेदार चाकू लेकर लोगों का डरा धमका रहा है जिससे लोग भयभीत होकर भागने लगे थे। उक्त व्यक्ति को पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया था। उससे नाम पता पूछने पर उसने उसका नाम धारासिंह पिता कानसिंह उम्र–36 वर्ष निवासी–बर्डिया उंचा थाना शामगढ़ का होना बताया था। खटकेदार चाकू रखने के लायसेंस व परमिट के बारे में पूछताछ करने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया था। अभियुक्त का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट का होने से उसके कब्जे से धारदार खटकेदार चाकू जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया था। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी को मय माल के लेकर चौकी पर आये थे और अपराध की कायमी 0गुणित96/2022 धारा 25 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उक्त अपराध की असल कायमी हेतु थाना शामगढ़ भेजा गया था जहां पर अपराध की कायमी अपराध क्रमांक 365/2022 धारा 25 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होने से उसे धारा 41–ए द.प्र.स का सूचना देकर रिहा किया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीयों कथन लेखबद्ध कर पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पेश किया गया।

03. निर्णय के पैरा एक में वर्णित आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध किये जाने से इन्कार किया एवं विचारण की वांछा की। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।

04. **<u>प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिये निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह है किः–</u>**

1. क्या अभियुक्त दिनांक 23.09.2022 को समय 08:40 से 09:00 बजे के मध्य स्थान सरकारी टंकी के पास ग्राम बर्डियाउंचा थाना शामगढ सार्वजनिक स्थान पर एक लोहे के धारदार खटकेदार चाकू को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा पाया गया और ऐसा कर उसने आयुध अधिनियम की धारा 4 के अधीन म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312–6552–दो–बी(1) दिनांक 22.11.1974 का उल्लघंन किया?
2. दोषसिद्धि व दण्डादेश, यदि कोई हो?

–::– <u>सकारण निष्कर्ष</u> –::–

<u>विचाराणीय प्रश्न क्रमांक–01 का निराकरण</u>

05. पंचान साक्षी पूरसिंह अ.सा–1 व अमरसिंह अ.सा–2 पूर्णतः पक्षद्रोही रहे है और उन्होंने अभियोजन पक्ष का किंचित मात्र भी समर्थन नही किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने के बाद भी उन्होंने उनके समक्ष किसी प्रकार की घटना एवं अन्य कार्यवाही होने से इंकार किया है किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अनुसंधानकर्ता/जप्तीकर्ता भानु प्रताप सिंह अ.सा.–3 के अनुसार वे दिनांक 23.09.2022 को कस्बा भ्रमण हेतु रवाना होकर बर्डिया उंचा पहुंचे जहां उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बर्डिया उंचा का धारासिंह जिसका हुलिया बदन गठीला कद सामान्य होकर आसमनी कलर का टी शर्ट पहने होकर सरकारी टंकी के पास खटकेदार चाकू लेकर प्रदर्शन कर लोगों को डरा धमका रहा है। उक्त सूचना पर पंचान पूरसिंह पिता बापूसिंह व अमरसिंह पिता नारायण को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर साथ मे लेकर सरकारी टंकी के पास पहुंचे जहां देखा कि एक व्यक्ति उसके दांहिने

हाथ में खटकेदार चाकू लेकर लोगों का डरा धमका रहा है जिससे लोग भयभीत होकर भागने लगे थे। उक्त व्यक्ति को पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया था। उससे नाम पता पूछने पर उसने उसका नाम धारासिंह पिता कानसिंह उम्र–36 वर्ष निवासी–बर्डिया उंचा थाना शामगढ़ का होना बताया था। अभियुक्त से खटकेदार चाकू रखने के लायसेंस व परमिट के बारे में पूछताछ करने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया था। जिससे अभियुक्त का कृत्य धारा 25 आयुध अधिनियम में दण्डनीय होने से उसके कब्जे से खटकेदार चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 और अभियुक्त की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होने से उसे धारा 41–ए द.प्र.स का सूचना पत्र प्रदर्श पी–3 दिया गया था।

06. जप्तीकर्ता भानु प्रताप सिंह अ.सा.–3 का आगे कहना है कि मौके पर ही घ ाटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–2 निर्मित किया गया था और मौके की कार्यवाही पूर्ण कर माल को चौकी लाया गया था और अपराध की कायमी प्रदर्श पी–4 धारा 25 आयुध अधिनियम की तहत की गयी थी। उक्त अपराध असल कायमी हेतु थाना शामगढ़ भिजवाया गया था जहां थाने पर अपराध की असल कायमी करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 लेखबद्ध की गयी थी। अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। इसी साक्षी ने न्यायालय में जप्तशुदा संपत्ति अर्टिकल–ए की पहचान करते हुए बताया है कि उक्त खटकेदार चाकू वही है जो अभियुक्त के कब्जे से कथित घटना दिनांक को जप्त किया गया था।

07. जप्तीकर्ता भानु प्रताप सिंह अ.सा.–3 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–5 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जप्तीचिट में थाने की सील व मोहर नही लगी हुई हैं। यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 में जप्तशुदा चाकू की लंबाई व चौडाई का उल्लेख नहीं है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही एक ही पुलिस अधिकारी भानु प्रताप सिंह के द्वारा की गयी है। जबकि प्रायः आयुध अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में एक ही पुलिस अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही किया जाना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे इस बात की संभावना उत्पन्न हो जाती है कि वह आगे की समस्त कार्यवाही उसके द्वारा की गयी जप्ती के तारतम्य में ही करेगा। जप्ती सील का एक नमूना जप्ती पत्रक की कंडिका–13 में भी लगाया जाना चाहिए जबकि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 की कंडिका–13 में नमूना सील का उल्लेख नही है।

08. जप्ती से संबंधित प्रकरण में प्रज्ञा का नियम यह है कि विवेचना अधिकारी या जप्तीकर्ता द्वारा अभियुक्त से कोई सामान जप्त किये जाने के पूर्व अपनी तलाशी किसी व्यक्ति को देकर इस संबंध में भी पंचनामा बनाया जाना चाहिये किन्तु ऐसा कोई पंचनामा जप्तीकर्ता भानु प्रताप सिंह द्वारा नहीं बनाया गया है। जप्तीकर्ता भानु प्रताप सिंह अ.सा.–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त के आधिपत्य से अभिकथित जप्त किये गये चाकू की लंबाई एवं चौड़ाई के संबंध में कोई कथन नहीं किये है, परन्तु मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक–6312–6552–II-B(i) दिनांकित 22.11.1975 के आलोक में जप्त किये गये आयुध के फल की लंबाई 6 इंच लंबी या 2 इंच चौड़ी होना आवश्यक है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–1 में भी अभियुक्त के कब्जे से जप्त किये गये कथित चाकू की लंबाई व चौड़ाई के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है जिससे अभियुक्त के आधिपत्य से अभिकथित जप्ती मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के उल्लंघन में होना प्रमाणित नही है।

09. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना उपरांत यह दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये स्वतंत्र साक्षीगण ने घटना, जप्ती के तथ्यों का समर्थन नही किया है। अनुसंधानकर्ता/जप्तीकर्ता भानु प्रताप सिंह द्वारा की गयी कार्यवाहियों में लोप प्रमाणित हुआ

है। इस कारण प्रकरण में की गयी जप्ती अथवा अन्य कार्यवाहियों पर संदेह उत्पन्न होता है।

10. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य में ऐसे लोप है जो अभियुक्त से कथित चाकू जप्त होना संदेहास्पद होना बनाते है। आपराधिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त का प्रदान किया जाना चाहिए एवं जब तक अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे मामला प्रमाणित नही कर दे तब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा 25 बी आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है। फलस्वरूप अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे इस तथ्य को प्रमाणित नही कर सका है कि अभियुक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर एक धारदार खटकेदार चाकू को बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा पाया गया था। अतः अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र है।

विचाराणीय प्रश्न कमांक–02 का निराकरण

11. अतः उपरोक्त विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अभियुक्त **धारासिंह पिता कानसिंह राजपूत, उम्र–37 वर्ष, निवासी–बर्डियाउंचा थाना शामगढ जिला मंदसौर म.प्र.** को **धारा 25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

12. अभियुक्त के प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जावे।

13. प्रकरण में अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान अभियुक्त जिस अवधि के लिए निरोध में रहा हो, इस संबंध में धारा 428 द. प्र. सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14. प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल एक लोहे का खटकेदार चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि के पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने पर यह आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगा।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(प्रीति पाण्डे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गरोठ, जिला मंदसौर म0प्र0

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

(प्रीति पाण्डे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गरोठ, जिला मंदसौर म0प्र0